

इसे वेबसाइट [www.govt\\_pressmp.nic.in](http://www.govt_pressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राज्यपत्र

## (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 520]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 नवम्बर 2014—कार्तिक 21, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(54).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा, जो मध्यप्रदेश राज्य में स्थित उसकी चावल मिल में चावल निर्माण में क्रय किये गए ऐसे धान का उपभोग करता है, उसकी चावल मिल में निर्माण की प्रक्रिया में उपभोग के लिए धान के क्रय को उक्त धारा के अधीन क्रय कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है।

2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको कि धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन धान अधिसूचित की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.  
भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(54), दिनांक 12 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 12<sup>th</sup> November 2014

No. F-A-3-71-2014-1-V(54).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts the purchases of paddy by a registered dealer, who consumes such paddy purchased in manufacture of rice in his rice mill situated in the State of Madhya Pradesh, for consumption in the process of manufacture in his rice mill, from payment of tax under the said section.

2. This notification shall come into force from the date on which paddy is notified under sub-section (1) of Section 10-A.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(55).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए धान, जिसका क्रय इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तारीख को या उसके पश्चात् किया जाता है, अधिसूचित करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(55), दिनांक 12 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 12<sup>th</sup> November 2014

No. F-A-3-71-2014-1-V(55).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, notifies paddy, which is purchased on or after the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette, for the purpose of the said sub-section.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(56).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 10-क की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे उल्लिखित एजेंसियों के लिए या की ओर से किसी सहकारी सोसाइटी द्वारा धान के क्रय पर उक्त धारा के अधीन कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है,—

1. मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित
  2. मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
  3. मध्यप्रदेश वेयर हाउसिंग एवं लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन
  4. भारतीय खाद्य निगम
2. यह अधिसूचना उस तारीख से प्रवृत्त होगी जिसको कि धारा 10-क की उपधारा (1) के अधीन धान अधिसूचित की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014

क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-71-2014-1-पांच(56), दिनांक 12 नवम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव.

Bhopal, the 12<sup>th</sup> November 2014

No. FA-3-71-2014-1-V(56).—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of Section 10-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, exempts the purchases of paddy by a Co-operative Society for or on behalf of the Agencies mentioned below from payment of tax under the said section.—

1. Madhya Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited.
  2. Madhya Pradesh State Co-operative Marketing Federation Limited.
  3. Madhya Pradesh Warehousing and Logistics Corporation.
  4. Food Corporation of India.
2. This notification shall come into force from the date on which Paddy is notified under sub-section (1) of Section 10-A.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.